

ITEM NO : 1 : MINUTES OF THE 80TH MEETING OF SPICES BOARD HELD AT SRINAGAR ON 30TH JUNE 2015

**शेर-आई-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, [एस के आई सी सी], श्रीनगर में
30 जून 2015 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 80 वीं बैठक का कार्यवृत्त**

स्पाइसेस बोर्ड की 80 वीं बैठक शेर-ए-काश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, [एस के आई सी सी], श्रीनगर में 30 जून 2015 को दोपहर बाद 3.00 बजे संपन्न हुई।

डॉ.ए.जयतिलक आई ए एस, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

- 1) श्री भास्कर शाह, उपाध्यक्ष
- 2) श्री बी.एस. येदयूरप्पा, आदरणीय सांसद
- 3) श्री प्रताप सिंहा, आदरणीय सांसद
- 4) सुश्री वंदना यादव आई ए एस
- 5) डॉ. हतोबिन माई
- 6) डॉ. एम. आनंदराज, निदेशक, आई आई एस आर
- 7) एडवोकेट ई.एम. अगस्ती
- 8) श्री आन्जो जोस
- 9) श्री बी.एम. मुनिराजू
- 10) श्री एम.एम. माधव नायडु, निदेशक, [सी एफ टी आर आई] का प्रतिनिधि
- 11) श्री रवेला गोपाला कृष्णा
- 12) सचिव(बागवानी), सिक्किम सरकार, गान्तोक के प्रतिनिधि श्री टी.पी. भूटिया, अपर निदेशक(बागवानी), गान्तोक, सिक्किम।

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई :

1. श्री एस.तंगवेलु, आदरणीय सांसद (राज्य सभा)
2. डॉ. विजु जेकब
3. श्री जोजो जॉर्ज
4. श्री के. ज़िया-उद-दिन-अहमद
5. श्री संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव व मिशन निदेशक (एन एच एम) कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय
6. श्री अजित तोमस
7. श्रीमती विजयलक्ष्मी

8. डॉ. मात्यू सामुवेल कलरिक्कल
9. प्रधान सचिव(बागवानी), उत्तरप्रदेश सरकार, लखनऊ
10. श्री लूथर एम.सी., निदेशक, वित्त प्रभाग का प्रभारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली
11. श्री एन.सी.साहा, निदेशक, आई आई पी
12. श्रीमती अनिता कारणवर

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित रहे:

1. प्रभारी निदेशक ,निर्यात संवर्धन (कृषि प्रभाग) , वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
2. श्री डी.वी.आर. राजीव मोहन, मेसर्स आई टी सी लिमिटेड, कोलकत्ता
3. निदेशक(आई ई), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
4. सचिव (बागवानी), आन्ध्रप्रदेश सरकार, हैदराबाद
5. मारलाल एम. तहलियानी, पार्टनर, मेसर्स एशियन फूड इंडस्ट्रीस, गुजरात

बोर्ड के निम्न लिखित अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री एस. कण्णन, निदेशक (विपणन)
2. श्री एस.सिद्धरामप्पा, निदेशक(विकास)
3. सीए के.सी. बाबु, निदेशक (वित्त)
4. डॉ. वाई.एस.आर. राव, निदेशक (अनु.)

सर्वप्रथम, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बोर्ड-बैठक में भारत भर से आए सभी सदस्यों का स्वागत किया ।

मद सं. 1: 19 फरवरी 2015 को मसाला बोर्ड, कोच्ची में सम्पन्न स्पाइसेस बोर्ड की 79 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

चूंकि 79 वीं बैठक पर सदस्यों की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त न हुई, इसलिए बोर्ड ने कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

मद सं. 2: 19 फरवरी 2015 को सम्पन्न 79 वीं बोर्ड-बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट

बोर्ड ने 19 फरवरी 2015 को सम्पन्न 79 वीं बोर्ड बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट नोट की और अगले वर्ष से लेकर इलायची कृषकों के लिए पुरस्कार मानदेय में संशोधन

लाने और सी सी एस सी एच के लिए स्थान गोवा में बदलने का अनुमोदन किया।

मद सं.3: आर के वी वाई परियोजना के तहत गुंटूर जिले के मास्टर प्रशिक्षुओं तथा मिर्च कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव:

बोर्ड ने आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को नोट किया और आर के वी वाई निधि से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड द्वारा प्राप्त 3.65 करोड़ रुपयों में से 36.00 लाख रुपए की राशि बागवानी आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार को अंतरित करने हेतु अध्यक्ष, मसाला बोर्ड द्वारा ली गई कार्रवाई की पुष्टि की।

मद सं. 4: बारहवीं प्लान योजना के दौरान बड़ी इलायची पुनरोपण / नव रोपण योजना - इमदाद राशि संशोधन

बोर्ड ने बड़ी इलायची पुनःरोपण / नव रोपण के अधीन दो वार्षिक / समान किस्तों में देय 28,000/- रुपए प्रति हेक्टर की दर में बारहवीं प्लान अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र व पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले में बड़ी इलायची पुनःरोपण / नव रोपण के लिए इमदाद में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव नोट किया।

चूंकि बोर्ड ने पहले ही वर्ष 2014-15 के दौरान 5900/- रुपए प्रति हेक्टर की पुरानी दर में पहला किस्त निर्माचित किया है इसलिए बोर्ड ने वर्ष 2015-16 के दौरान 14,000 रुपए प्रति हेक्टर के दूसरे किस्त के साथ पहले किस्त की शेष राशि 8,100/- रुपए प्रति हेक्टर के निर्माण को अनुमोदित किया।

मद सं.5: वर्ष 2015-16 के लिए गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्यू आई टी पी) की सूची

बोर्ड ने मसाला बढ़ाए जानेवाले राज्यों के 729 केन्द्रों में गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए मा.सं.वि.(एच आर डी) के अधीन कुल 40.00 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय का अनुमोदन किया। वैसे, जहां कहीं अपेक्षित/संभव हो, प्रस्तावित आधे दिन के कार्यक्रमों के बदले एक दिवसीय कार्यक्रम पर विचार किए जाने का परामर्श किया गया।

मद सं.6 :-वर्ष 2015-16 के दौरान कृषि मंत्रालय की एम आई डी एच परियोजना के अधीन मसालों के लिए कटाई उपरांत कार्यक्रमों के लिए राष्ट्र स्तरीय एजेंसी के रूप में मसाला बोर्ड

बोर्ड ने, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 4.00 करोड़ रुपए के कुल

वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2015-16 के दौरान एम आई डी एच के अधीन मसालों के लिए कटाई उपरांत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए संशोधित वार्षिक कार्य योजना नोट की ।

बोर्ड ने कुल 4.50 करोड़ रुपए की सहायता में वर्ष 2014-15 के दौरान एम आई डी एच, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यान्वित कार्यक्रम की सफलता नोट की।

मद सं.7 : उत्तर पूर्वी क्षेत्र के गुवाहाटी में फसल विशेष के कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

बोर्ड ने 11.25 लाख रुपए की कुल लागत पर आई आई पी एम के जरिए गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के फसल विशेष के कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए चलाया गया क्षमता निर्माण कार्यक्रम नोट किया।

मद सं.8: बोर्ड के नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए अध्ययन दौरा और भारत दर्शन

बोर्ड के कार्यकलापों को भारत भर में सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, "अध्ययन दौरा और भारत दर्शन कार्यक्रम" के अधीन बोर्ड के नए भर्ती किए गए पदाधिकारियों को प्रेरणा प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा नोट किया गया।

मद सं.9: उत्तर प्रदेश में पुदीना पर गुणवत्ता जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव

बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में पुदीना पर गुणवत्ता जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव नोट किया।

मद सं.10: जम्मू व कश्मीर में केसर के कटाई उपरांत सुधार, विपणि एवं निर्यात संवर्धन के लिए पायलट कार्यक्रम

जम्मू व कश्मीर में केसर के कटाई उपरांत सुधार, विपणि एवं निर्यात संवर्धन के लिए पायलट कार्यक्रम हेतु वर्ष 2015-16 के लिए 44.00 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ अतिरिक्त घटकों / क्रियाकलापों के प्रस्ताव को बोर्ड ने अनुमोदित किया।

मद सं. 11: सी सी एस सी एच का दूसरा सत्र

बोर्ड ने 14-18 सितंबर 2015 के दौरान गोवा में होनेवाले सी सी एस सी एच के द्वितीय सत्र का आयोजन नोट किया ।

मद सं.12: वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान भारत से मसालों के निर्यात निष्पादन पर पुनरीक्षा

बोर्ड ने मात्रा में 9.38 प्रतिशत और मूल्य में रुपए के हिसाब से 8.47 प्रतिशत और डॉलर के हिसाब से 7.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2013-14 के 13735.39 करोड़ रुपए (2267.67 दशलक्ष यू एस डॉलर) मूल्यवाले 8,17,250 टन के बदले वर्ष 2014-15 के दौरान 14899.68 करोड़ रुपए (2432.85 दशलक्ष यू एस डॉलर) मूल्यवाले कुल 8,93,920 टन के मसाले और मसाले उत्पाद का निर्यात नोट किया।

मद सं.13: मसालों की निर्यात- उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार

स्थिति नोट की गई।

मद सं. 14 : मसाला पार्कों की स्थापना

बोर्ड ने पहले ही स्थापित और स्थापित हो रही मसाला पार्कों की स्थिति नोट की। श्री प्रताप सिन्हा, माननीय सांसद ने कूर्ग में मसाला पार्क स्थापित करने की गुजारिश की क्योंकि कूर्ग कालीमिर्च, मिर्च, अदरक और इलायची उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। अध्यक्ष महोदय ने व्यादगी मिर्च के विकास के लिए हावेरी में मसाला पार्क स्थापित की जाने की आवश्यकता बताई और ज़मीन के निःशुल्क हस्तांतरण सहित मसाला पार्क की स्थापना की बुनियादी अपेक्षाओं के बारे में आगे बताया। श्री सिन्हा उचित ज़मीन के चयन के लिए सहमत हुए। बोर्ड ने इसी के समानान्तर एक व्यावहारिक अध्ययन चलाने का निर्णय लिया।

मद सं.15: गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना

स्थिति नोट की गई।

मद सं.16: पुडुड़ी और बोडिनायकन्नूर के ई-नीलाम केंद्रों की स्थिति

बोर्ड ने पुडुड़ी और बोडिनायकन्नूर के ई-नीलाम केंद्रों की स्थिति नोट की। निदेशक(विपणन) ने बताया कि नई प्रणाली ने नए व्यापारियों को नीलाम प्रणाली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और नीलामकर्ताओं तथा व्यापारियों के बीच एक स्वास्थ्यकर प्रतियोगिता पैदा की है। वैसे, कुछ नीलामकर्ताओं ने समय के अभाव के कारण फसल कटाई की चरम अवधि के दौरान नीलाम विशेष के लिए पंजीकृत किए जाने हेतु संभावित सभी लोटों की निपटाई में अपनी समस्या ज़ाहिर की और खासकर बोडिनायकन्नूर में नीलाम चलाने के लिए लोटों की छोटी संख्या को लोटों की बड़ी संख्या के साथ मिलाकर संयुक्त

नीलामी का सुझाव दिया। निदेशक(विपणन) ने समझाया कि नई प्रणाली के लागू हुए सिर्फ पाँच महीने ही हुए हैं। यह भी सुझाया गया कि बोडिनायकन्नूर में स्थापित किए जा रहे नीलाम केंद्र में कम से कम 100 टर्मिनल्स होने चाहिए।

मद सं.17: केसर उत्पादन व निर्यात विकास अभिकरण (स्पेड़ा) की स्थापना

बोर्ड ने स्पेड़ा की स्थापना नोट की। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि निधीयन के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को केसर पर कार्यान्वित किए जानेवाले कार्यक्रमों का प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। स्पेड़ा की पहली बैठक जल्दी ही होने की संभावना है।

मद सं.18: 10 मसाला विकास अभिकरणों (एस डी ए) की स्थापना

बोर्ड ने मसालों के विकास के लिए 10 क्षेत्रों में मसाला विकास अभिकरणों (एस डी ए) की स्थापना नोट की।

मद सं.19: दिल्ली में सिग्नेचर स्टालों की स्थापना

बोर्ड ने लुलू मॉल, कोच्ची में बोर्ड द्वारा विकसित सिग्नेचर स्टॉल के समान भारतीय मसालों के लिए जनपथ और दिल्ली हाट, जनकपुरी, दिल्ली में मेसर्स एस टी सी में उचित स्थान/शॉप लेते हुए सिग्नेचर स्टालों की स्थापना के लिए ली गई कार्रवाई का अनुमोदन किया और वाणिज्य मंत्रालय के ऐसे अधिक से अधिक सिग्नेचर स्टालों की स्थापना के अनुरोध को नोट किया।

मद सं. 20: मसाला मिक्स के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा

बोर्ड ने मसाला मिक्स के देशी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए 25.00 लाख रुपए का बजट अनुमोदित किया।

मद सं.21: अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय(आई पी सी) के 43 वाँ वार्षिक अधिवेशन व बैठक का आयोजन

बोर्ड ने 22-25 नवंबर 2015 के दौरान मैसूर, कर्नाटक में आयोजित आई पी सी के 43 वें अधिवेशन का आयोजन नोट किया।

मद सं.22: विश्व मसाला कॉंग्रेस : 2016

बोर्ड ने 27-29 फरवरी, 2016 के दौरान अहमदाबाद में आयोजित अगले विश्व मसाला कॉंग्रेस 2016, जोकि इस शृंखला का 13 वां है, का आयोजन नोट किया।

मद सं.23: स्पाइसेस बोर्ड (भर्ती) विनियमन 2010 / पदों का स्थानांतरण

बोर्ड ने अनुबंध IV के अनुसार सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं में कुछ पदों में नियुक्तियां करने या सेवारत कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने में, अतिरिक्त योग्यता जोड़ने / अनुभव में छूट प्रदान करते हुए भर्ती नियमों में किए गए बदलाव की पुष्टि की।

संगठन के विकास के लिए प्रभागों के पार पदों के बदलाव हेतु अनुबंध III के अनुसार अध्यक्ष महोदय द्वारा ली गई पहल को बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।

बोर्ड ने मंजूर किए गए स्टाफ संख्या में ही सहायक निदेशक (साइबर सुरक्षा व विपणन) के लिए सहायक निदेशक (विपणन) के पद को परिवर्तित करते हुए सीधी भर्ती के ज़रिए ई डी पी विभाग में सहायक निदेशक के पद में आई टी सुरक्षा और किसी भी प्रकार के हैकिंग, डाटा चोरी आदि से बचाव के प्रबंधन के लिए उपयुक्त योग्यता सहित एक नियमित अधिकारी की नियुक्ति करने के अध्यक्ष के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

मद सं: 24: गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड द्वारा विश्लेषण किए गए परेषण नमूनों की स्थिति।

बोर्ड ने स्थिति नोट की।

मद सं: 25: मसाला बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि के लिए उद्दिष्ट निधि।

बोर्ड ने मसाला बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि के तौर पर वर्ष 2014-15 के लिए 10.00 करोड़ रुपए निर्धारित करते हुए कर्मचारियों के पेंशन लाभ की ओर से बनाए गए प्रावधान के संबंध में की गई कार्रवाई का अनुसमर्थन किया।

मद सं: 26: आई सी आर आई, सकलेशपुरा में तैयार गई छोटी इलायची किस्म (आई सी आर आई 8) को कर्नाटक क्षेत्र(वर्ष 2014-15) में निर्माचित करने के लिए अनुशंसित किया गया।

सदस्यों ने केरल क्षेत्र के लिए भी एक किस्म तैयार करने का अनुरोध किया। निदेशक(अनु.) द्वारा यह सूचित किया गया कि केरल के लिए पहले ही पाँच किस्में तैयार की जा चुकी हैं और तैयार की नई किस्म को मात्र कर्नाटक क्षेत्र के लिए उपयुक्त क्षेत्रीय जलवायु के आधार पर विकसित किया गया है। बोर्ड ने नोट की।

मद सं: 27: वर्ष 2015-16 को मसाला बोर्ड के लिए बजट आबंटन

बोर्ड ने सूचना नोट की।

अतिरिक्त मदें

मद सं: 28: इलायची में सिंचाई के लिए बिजली खर्च हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध

बोर्ड ने मामले को केरल सरकार के साथ चर्चा करके सुलझाने का सुझाव दिया।

मद सं: 29: वर्ष 2014-15 के लिए मसाला बोर्ड का वार्षिक लेखा

निदेशक (वित्त) ने वर्ष 2014-15 के लिए मसाला बोर्ड का वार्षिक लेखा, जिसमें प्राप्ति और अदायगी लेखा, आय और व्यय लेखा और तुलन -पत्र, जैसे कि 31-03-2015 को है, शामिल हैं, प्रस्तुत किया। बोर्ड ने वर्ष 2014-15 के लिए मसाला बोर्ड के वार्षिक लेखे पर विचार किया और उसे लेखा परीक्षा और प्रमाणन के लिए प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नई को प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया। बोर्ड ने उपर्युक्त वार्षिक लेखे में आवश्यक सुधार/संशोधन, यदि कोई है तो, को शामिल करने के लिए भी अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया।

संकल्प

"तुलन पत्र जैसे कि 31 मार्च 2015 को है, अनुसूचियाँ व वहाँ संलग्न टिप्पणियाँ सहित 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मसाला बोर्ड के आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और अदायगी लेखा इसके साथ अनुमोदित करने का संकल्प किया जाता है।"

"साथ ही उपर्युक्त लेखे में लेखा परीक्षा निर्देशों के अनुसार आवश्यक सुधार/संशोधन, यदि कोई है तो, को शामिल करने के लिए अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करने का भी संकल्प

लिया गया । "

मद सं: 30: आई टी सुरक्षा

बोर्ड ने भविष्य में कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटा नष्ट होने से बचने और आई टी सुरक्षा को सक्षम बनाने की आवश्यकता के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा उठाए गए कदमों को नोट किया । तदनुसार बोर्ड ने ड्रयल फाइरवाल के जरिए डाटा सेंटर व डिजास्टर रिकवरी सेंटर तथा डीमिलिटराइज्ड ज़ोन्स (डी एम ज़ेड) के सृजन को अनुमोदित किया।

मद सं: 31: कार्यों में लगातार लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं में छूट।

स्वायत्तता और लचीलापन का एक उचित स्तर मानते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नियुक्त अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सेवा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, किराया रहित आवास, यात्रा भत्ते के मानदंडों में छूट, हवाई/रेल टिकटों की बुकिंग, गैर-एयर इंडिया उड़ानों में यात्रा आदि के संबंध में मसाला बोर्ड द्वारा उठाए गए प्रचालन व प्रशासनिक कदमों को बोर्ड ने नोट किया।

इसके अलावा, बोर्ड ने कहा है कि अपनी सीमित मानव शक्ति और विशाल भौगोलिक विस्तार के बावजूद, मसाला बोर्ड द्वारा लिए गए प्रशासनिक और संसाधन प्रबंधन चरण, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, भारतीय मसाला उद्योग के विभिन्न हितधारकों की विभिन्न जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सक्षम है।

52 मसालों के साथ अपने अधिदेश, प्रशासन, संसाधन, भौगोलिक प्रसार, प्रचालन और योजनाओं के क्रियान्वयन तथा भारत के हर एक राज्य व संघ-शासित क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाते हुए भारत भर में बोर्ड की मान्यता के संदर्भ में, मसाला बोर्ड की विशेष प्रकृति को देखते हुए बोर्ड ने भविष्य में भी कुछ हद तक स्वायत्तता और लचीलापन सहित प्रचलित विधा को जारी रखने और तत्काल निर्णय की आवश्यकतावाले मामलों, जिसपर लोकहित में निपटान के लिए इंदजार नहीं कर सकते, पर निर्णय लेने को संगठन को अनुमति दी।

मद संख्या 32: आंध्र प्रदेश में मिर्च / हल्दी विकास और निर्यात संवर्धन

श्री रवेला गोपालकृष्ण ने सूचित किया कि मसाला पार्क , गुंटूर के उद्घाटन समारोह में चर्चा किए अनुसार राजमार्ग तक सड़क सम्पर्क बनाने के बारे में विचार किया जाए । निदेशक (विपणन) द्वारा यह सूचित किया गया कि बोर्ड ने पहले ही सड़क संपर्क और पार्क में प्लॉटों के आबंटन के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है।

मज़दूर समस्या के समाधान हेतु किसानों से लाभ उठाने के लिए मेकानिकल चिल्ली ड्राइवर, टर्मिक बोइलर, पोलिशर और हाई स्पीड स्प्रेयर की आपूर्ति के लिए सहायता विस्तार के संबंध में निदेशक(विकास) ने बताया कि इन कार्यक्रमों पर नए नए गठित गुण्टूर मसाला विकास अभिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है ।

मिर्च के लिए आई पी एम इनपुटों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सदस्य ने करी पत्ते के लिए भी आई पी एम कार्यक्रम के विस्तार करने का अनुरोध किया। निदेशक(विकास) ने बताया कि आर के वी वाई/एम आई डी एच परियोजनाओं के अधीन केवल कालीमिर्च और मिर्च के लिए ही इन कार्यक्रमों को लागू किया जाता है । अभी, आर के वी वाई/एम आई डी एच के अधीन करी पत्ते को भी शामिल किया जाएगा।

अन्य चर्चाएँ:

किसानों को नीलाम के लिए अपनी इलायची रखने से पहले यह सुनिश्चित करने हेतु उसकी जांच करने का परामर्श किया जाए कि वह नाशकजीवनाशियों के अवशेष से मुक्त हो। सदस्यों द्वारा एम आर एल के बारे में किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सदस्यों ने सुझाया । अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बोर्ड ने इमदादी दरों में मिर्च नमूनों की जांच के लिए गुण्टूर में पहले ही यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि किसान मसाला बोर्ड की जांच रिपोर्ट के अनुसार अपने उत्पादों को नाशीजीवनाशी और एफ्लाटोक्सिन से मुक्त होने का दावा करके विपणि में अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य के लिए मोल-तौल कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि अवाम की अच्छी सेहत के लिए बोर्ड ने भारत से कहीं से भी मसालों के नमूने एकत्रित करके मसाला बोर्ड को भेजने के लिए एफ एस एस ए आई को निदेश दिया है। गैर-निर्यात नमूनों की जांच बोर्ड का अनिवार्य कार्य न होने पर भी जांच के लिए एफ एस एस ए आई से नमूनों को प्राप्त किया जाता है ।

श्री आँजो जोस ने सभी मसालों के अनुमोदित कृषि कार्यों पर एक जागरूकता कार्यक्रम चलाने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह कार्यक्रम हम केवल इलायची के लिए ही चला सकते हैं क्योंकि बाकी मसाले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं ।

श्री हतोबिन माई द्वारा किए गए सुझावों के उत्तर में अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि आईसी गतिविधियों पर सारे मसालों और राज्यों में एफ एस एस ए आई द्वारा चिह्नित की गई सभी मदों पर एक विशेष परियोजना तैयार करके प्रस्तुत की जाएगी

डॉ. हतोबिन माई ने बोर्ड के नए पैन इंडियन गतिविधियों , खासकर बोर्ड की बैठकों के स्थान ईटानगर और श्रीनगर जैसी जगहों पर करने, की सराहना की ।

श्री हतोबिन माई ने सूचित किया कि बड़ी इलायची की खेती के लिए अरुणाचल प्रदेश के अप्पर सियाङ्ग जिलों में खेती के लिए अच्छी जलवायु स्थिति है और वहाँ पर एक कार्यालय खोलने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने उनसे अरुणाचल प्रदेश में स्थापित नौ नए कार्यालयों में से बड़ी इलायची कृषि के लिए बहुत कम गुंजाइशवाली जगहों को सुझाने का अनुरोध किया ताकि उस कार्यालय को स्थानांतरित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बोर्ड ने पहले ही आर के वी वाई/एम आई डी एच योजना के अधीन विचारार्थ बड़ी इलायची पर परियोजनाएं तैयार करके अरुणाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की हैं । उसके अनुपालन के लिए अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय कार्यालयों द्वारा इसकी प्रतियाँ सौंप दी जायेंगी ।

मसाला बोर्ड के अधिदेश के अनुसार केवल इलायची के लिए ही इमदाद की अनुमति है। अतः, किंग चिली के लिए इमदाद पर विचार नहीं किया जा सकता। वैसे, अगर राज्य सरकार सहमत है तो आर के वी वाई के अधीन इमदाद प्रदान करने की साध्यता पर विचार किया जा सकता है।

कालीमिर्च के बागवानी नमूने में शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं में से एक बड़ी इलायची में संभव है। अध्यक्ष महोदय ने आर के वी वाई के परियोजना के अधीन एक पाइलट परियोजना तैयार करने के लिए सुझाया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि लक्ष्य की परवाह किए बगैर ही प्राप्त आवेदनों के आधार पर इमदाद वितरित की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय ने आगे बताया कि बड़ी इलायची की रोपण समग्रियों के उत्पादन के लिए अरुणाचल प्रदेश में बोर्ड पौधशालाओं की स्थापना कर रहा है और निदेशक(अनुसंधान) से एक पाइलट प्रदर्शन योजना तैयार करने और अरुणाचल प्रदेश में उपलब्ध जंगली प्रजातियों की उत्पादकता का पता लगाने को कहा।

एडवोकेट अगस्ती ने सभी पणधारियों को शामिल करते हुए इस वर्ष के अंत में तेक्की में एक राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन का सुझाव दिया। इसके उत्तर में अध्यक्ष महोदय ने दक्षिणी प्रांत में, विशेषकर इडुक्की में, एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन सुझाया।

बैठक में अपनी सक्रिय भागीदारी केलिए सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष महोदय ने निम्न घटनाओं के साथ साथ बोर्ड बैठक का प्रस्ताव किया:

1. सितंबर 2015 गोवा में सी सी एस सी एच का दूसरा सत्र।
2. नवंबर के दौरान मैसूर में आई पी सी का 43 वां सत्र।
3. फरवरी 2016 के दौरान अहम्मदाबाद में वर्ल्ड स्पाइस कॉग्रेस 2016
